भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 31

02 फरवरी, 2021 को उत्तर देने के लिए

उत्पादन संपृक्त प्रोत्साहन योजना

31. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन संपृक्त प्रोत्साहन (पी एल आई) को स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र द्वारा कोई नया निवेश सृजित किया गया है;
(ग) यदि हां, तो प्रति राज्य प्रति उत्पादन लाइन निवेश राशि कितनी है तथा रोजगार के कितने अवसर सृजित होने की संभावना है;
(घ) वित्त वर्ष 2020-21 उक्त योजना हेतु आबंटित निधि में से हुए खर्च का प्रति राज्य और प्रति उत्पादन लाइन-वार ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने उक्त योजना के परिणामस्वरूप निर्यात मूल्य में वृद्धि और रोजगार के सृजन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रति राज्य और प्रति उत्पादन लाइन-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): दिनांक 11.11.2020 को भारत सरकार के विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने और निर्यात के लिए "आत्म निर्भर भारत अभियान" पर नीति आयोग के कैबिनेट नोट के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित 10 उत्पाद विशिष्ट उत्पाद लाइनों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए अनुमोदन दिया गया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के अंतिम प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के विशिष्ट प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना अभी शेष है।

(ख) से (च) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष है। इसके आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

******